



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 23, 2010/चैत्र 2, 1932

No. 75]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 23, 2010/CHAITRA 2, 1932

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2010

सं. भा.आ.प.-12(2)/2009-मेडि. विविध/82115.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, “चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998” में पुनः संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व-अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :—

1. (i) इन विनियमों को “चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (संशोधन)विनियमावली, 2010 (भाग II)” कहा जाए।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. “चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998” में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :—

3. अनुसूची 1 में “शैक्षिक योग्यताओं अध्यापन एवं अनुसंधान अनुभव की शर्तें” शीर्षक के अंतर्गत विकिरण निदान विभाग में सारणी-1 में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

पद	शैक्षिक योग्यताएं	अध्यापन/अनुसंधान अनुभव
“(ड) विकिरण भैतिकशास्त्र में व्याख्याता	(i) एक विषय के रूप में भौतिक विज्ञान में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में कोई मौलिक डिग्री	—
	(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विकिरण मेडिकल भौतिकशास्त्र में कोई स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा	—”

ले. कर्नल (से. नि.) डॉ. ए. आर. एन. सीतलवाड, सचिव

[विज्ञापन III/4/100/09/असा.]

पाद टिप्पणी :—प्रधान विनियमावली नामतः “चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली, 1998” भारत के राजपत्र के भाग III, धारा 4, दिनांक 5 दिसम्बर, 1998 को प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 16-3-2005, 21-07-2009, 28-10-2009 और 15-12-2009 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

**MEDICAL COUNCIL OF INDIA
NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd March, 2010

No. MCI-12(2)/2009-Med. Misi./82115.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to further amend the “Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998”, namely :—

1. (i) These regulations may be called the “Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions (Amendment) Regulations, 2010 (Part II)”.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the “Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998”, the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be as indicated therein:—

3. In Schedule-I Table-1, under the heading “Requirements of Academic Qualifications, Teaching and Research Experience”, in the Department of Radio Diagnosis, the following shall be added:—

Post	Academic Qualifications	Teaching/Research Experience
“(E) Lecturer in Radiological Physics	(i) a basic degree in science from a recognized university with physics as one of the subject;	—
	(ii) a postgraduate degree/diploma in radiological/medical physics from a recognized university.	—”

Lt. Col. (Retd.) Dr. A. R. N. SETALVAD, Secy.

[ADVT. III/4/100/09/Exty.]

Foot Note :—The Principal Regulations namely “Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998” were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 5th December, 1998, and amended *vide* MCI notification dated 16-03-2005, dated 21-07-2009, dated 28-10-2009 and dated 15-12-2009.